संख्या:10/2022/17/35-4-2022

प्रेषक,

ऋषिकेश दुबे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 04 जनवरी, 2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया नियोजन अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-619/2021/2633/35-4-2021 दिनांक 29 दिसम्बर,2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत जनपद मीरजापुर में विधान सभा क्षेत्र- मड़िहान, विकास खण्ड-पटेहरा के ग्राम पटेहरा कलां में राजकीय आई0टी0आई0 के भवन निर्माण हेतु अनुमोदित लागत के सोपक्ष चतुर्थ किश्त के रूप में रू. 219.04 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

2- उक्त शासनादेश के प्रस्तर-1 में तृतीय किश्त के रूथान पर चतुर्थ किश्त तथा तालिका में चतुर्थ किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि को रू. 219.00 लाख के स्थान पर रू. 219.04 लाख पढ़ा जायेगा।

3- शासनादेश संख्या-619/2021/2633/35-4-2021 दिनांक 29 दिसम्बर,2021 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,

(ऋषिकेश दुबे)
विशेष सचिव।

संख्या:10/2022/17(1)/35-4-2022 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
7- मण्डलायुक्त, विन्ध्याचल मण्डल।
8- निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10- मुख्य विकास अधिकारी, मीरजापुर।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, मीरजापुर।
12- गार्ड फाईल।
13- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5।
14- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, मीरजापुर।
15- सम्बंधित अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मीरजापुर।

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दुबे)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in